न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 05/2012 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या— 2012/00089

उनवान

1. रजन आयु 40 साल पुत्र श्री जुगल जाति गूजर निवासी धत्ता का बेडा मजरा कपूरा मलूका तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामचरन आयु 55 साल
2. जवान सिंह आयु 45 साल

} पिसरान शिब्बू जाति गूजर नि0 कपूरा मलूका तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 09.12.2011 उनवानी रजन बनाम रामचरन मु0न0 38/11

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री धनीराम पोसवाल उपस्थित।
2. रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 31.07.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 09.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से रैस्पो0/अप्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कपूरा मलूका तहसील बयाना के अपीलाण्ट/प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी संख्या 15 लगायत 20 वहिस्सा बराबर भाग के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। उक्त विवादित आराजी अपीलाण्ट/प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी को उनके पति एवं पिता स्व0 श्री जुगल से विरासत में प्राप्त हुई है। चूंकि विवादित आराजीयात का वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पक्षकारान् के मध्य विभाजन नहीं हुआ है तथा सम्मिलित रूप में ही उक्त आराजीयात् को मौके पर काश्त किया जाता रहा है अब शामिल काश्त करना बिल्कुल संभव नहीं रहा है। रैस्पो0/अप्रार्थीगण आये दिन अपीलाण्ट/प्रार्थी के कब्जे काश्त की विवादित आराजी को लेकर झगडा करते हैं व अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर, दीगर व्यक्ति को रहन, वय, मुन्तकिल करने को उतारू हैं। यदि रैस्पो0/अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में ऐसे किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा किस आधार पर खारिज होना माना है। अतः अपीलाधीन आदेश एक अस्पष्ट आदेश है। विवादित आराजीयात पैतृक है एवं अपीलाण्ट व रैस्पो0 एक ही पूर्वज की सन्तानें हैं। रैस्पो0 विवादित आराजीयात का बिना विभाजन कराये, अपीलाण्ट के हिस्से और खातेदारी की भूमि को नाजायज कब्जा करने पर आमदा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी स्थिति को नजरअन्दान करते हुए खण्डनाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। पैतृक सम्पत्ति में हर इन्च में सह खातेदार एवं कोपार्सनर के हक होते हैं अतः ऐसे मामलो में अस्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण विवादित भूमि पर जारी करनी चाहिए। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में यदि खातेदारी एवं विभाजन का झगडा हो तो ऐसे मामलो में रिकार्डेड खातेदार को भी पाबन्द किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, रैस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2065–68 में अपीलाण्ट/प्रार्थी एवं रैस्पो0/अप्रार्थी, अभिलिखित खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। इस प्रकार सहकृषक होना सिद्ध है; पक्षकारान् के हिस्से मूल वाद में, विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होगें, परन्तु प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट/प्रार्थी के हक में मामला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनता है। दौराने वाद, विवादित भूमि खुर्द–बुर्द ना हो अतः सुविधा संतुलन भी अपीलाण्ट/प्रार्थी के हक में सिद्ध होती है। दौराने वाद, विवादित भूमि का हस्तान्तरण होने पर अपूर्णनीय क्षति व वाद जटिलता, बहुलता होगी, अतः विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिये स्थगन न्यायोचित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2011 अपास्त किये जाते हैं एवं रैस्पो0 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक विवादित आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल नही करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official